दिनांक 20.05.2025
प्रेस विज्ञप्ति 31/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद कासगंज में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नवनिर्मित पुलिस लाइंस का किया गया लोकार्पण

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा आज दिनांक 20.05.2025 को **श्री संजय प्रसाद**, प्रमुख सचिव गृह, उ0प्र0 शासन, **श्री प्रशान्त कुमार**, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की उपस्थिति में जनपद कासगंज में 25.63 हेक्टेयर भूमि पर 191.01 करोड़ रूपये की लागत से उ0प्र0 पुलिस आवास निगम द्वारा तैयार किये गये आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नवनिर्मित पुलिस लाइंस एवं ऑडिटोरियम का लोकार्पण/शिलालेख का अनावरण तथा पुलिस लाइंस में नवनिर्मित गंगा गेस्ट हाउस, बैरकों, क्वाटरगार्ड, जिम एवं मल्टीपरपज हाल का निरीक्षण किया गया तत्पश्चात पुलिस लाइन परिसर में पौधरोपड़ किया गया।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 में नवसृजित जनपद कासगंज के पास स्वयं का जनपदीय पुलिस मुख्यालय (पुलिस लाइन) उपलब्ध नहीं थी। वर्ष 2018 में 25.63 हेक्ट0 भूमि अधिग्रहत कर निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ था, नवनिर्मित पुलिस लाइन में अपर पुलिस अधीक्षक आवास–01, पुलिस उपाधीक्षक आवास–04, प्रतिसार निरीक्षक आवास–01, निरीक्षक/उ0नि0 आवास–96, मु0आ0/आरक्षी आवास–240 एवं 1000 जवानों की क्षमता की 05 बैरिक, भोजनालय, चिकित्सालय, पुलिस क्लब, लाइब्रेरी, सीपीसी केन्टीन, जलपान केन्टीन, राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों के गेस्ट हाउस, आधुनिक सुविधाओं से युक्त क्वार्टर गार्ड, जिला नियन्त्रण कक्ष, प्रशासनिक भवन, मल्टीपर्पज हाल, जिम, ऑडिटोरियम, परिवहन कार्यालय, चालकों के लिए बैरिक, वाहन गैराज, पुलिस माडर्न स्कूल निर्मित किये गये है।

मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 द्वारा अपने उद्‌बोधन में कहा गया कि कासगंज में नवनिर्मित पुलिस लाइंस उत्तर प्रदेश पुलिस की आधुनिकीकरण की दिशा में एक मील का

पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि 191 करोड़ रुपये की लागत से बनी यह पुलिस लाइंस 1,000 पुलिस कर्मियों के लिए बैरक, अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधाएं, ऑडिटोरियम और अन्य आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले पुलिस कर्मी टूटी–फूटी बैरकों में रहने को मजबूर थे, लेकिन अब हाई–राइज इमारतों में शानदार आवासीय सुविधाएं दी जा रही हैं। यह पुलिस लाइंस देश के लिए एक मॉडल है।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम की तारीफ करते हुए कहा गया कि यह पुलिस को सशक्त बनाने और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। देश और राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस का आधुनिकीकरण करना जरूरी है।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन एवं सम्मान के लिए आगरा जोन द्वारा संचालित ऑपरेशन जागृति को स्मार्ट पुसिलिंग अवार्ड वुमेन सेफ्टी 2025 से पुरस्कृत किया गया। इस दौरान जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र व टैबलेट, मुख्यमंत्री आवास योजना व पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत आवास की चाबी, सीएम युवा के तहत लाभार्थियों को 5 लाख रुपये का चेक, घरौली प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड व मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लाभार्थियों को लैपटॉप का वितरित किया गया।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, पुलिस आवास निगम उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक, आगरा जोन, आगरा, पुलिस उपमहानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र, अलीगढ़, मण्डलायुक्त अलीगढ़, पुलिस अधीक्षक, कासगंज एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधि व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

श्री योगी आदित्यनाथ
श्री प्रशान्त कुमार

नवनिर्मित रिजर्व पुलिस लाईन्स जनपद कासगंज के
लोकार्पण हेतु
श्री योगी आदित्यनाथ
मा० मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार
श्री प्रशान्त कुमार
एवं
श्री संजय प्रसाद
के कासगंज जनपद आगमन पर
हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन

दिनांक 20.05.2025
प्रेस विज्ञप्ति 32/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद कौशाम्बी/थाना कोखराज

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये ट्रेलर में लटे माल की बिल्टी आदि बरामद**

दिनांक 20.05.2025 को थाना कोखराज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गंगा नदी का किनारा संदीपनघाट से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रंजीत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूटे गये ट्रेलर में लटे माल की बिल्टी आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोखराज पर पंजीकृत हत्या सहित लूट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु रेंज स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोखराज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रंजीत निवासी राजागंज कुंम्भ थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1–लूटे गये ट्रेलर में लटे माल की बिल्टी आदि।

जनपद शामली/थाना आदर्शमंडी

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 20.05.2025 को थाना आदर्शमंडी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करनाल हाईवे पर पुल के पास पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त शौकीन

घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना आदर्शमंडी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तार हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद शामली के थाना आर्दशमंडी पर हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना आर्दशमंडी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–शौकीन निवासी मोहल्ला हकीकत नगर कस्बा बनत थाना आदर्शमंडी जनपद शामली।

<u>बरामदगी</u>

1–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना नन्दग्राम</u>

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **चोरी के 25 हजार रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 19.05.2025 को थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगर निगम मैदान के पास से अभियुक्त 1–कुनाल 2–वंश 3–चिंटू उर्फ हर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के भारी मात्रा

में पीली–सफेद धातु के आभूषण, चोरी के 25 हजार रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना नन्द्रग्राम क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नन्दग्राम पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, नगद रूपये चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–कुनाल निवासी ग्राम गिरधरपुर थाना बादलपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2–वंश निवासी हाफिजनगर वंहई बरेली वर्तमान पता गिरधरपुर थाना बादलपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

3–चिंटू उर्फ हर्ष ग्राम रावली थाना मुरादनगर, गाजियाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–चोरी के 25 हजार रूपये नगद।

3–03 मोबाइल फोन।

<u>कमिश्नरेट आगरा/थाना जगदीशपुर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के चांदी के आभूषण**
- **चोरी के 70 हजार 210 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 20.05.2025 को थाना जगदीशपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पथौली बिचपुरी लिंक रोड़ पर चेकिंग के दौरान बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस

टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मुर्सलीन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के चांदी के आभूषण, चोरी के 70 हजार 210 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना जगदीशपुर क्षेत्रान्तर्गत चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जगदीशपुर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण, नगद रूपये चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जगदीशपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुर्सलीन निवासी पिपलेड़ा जाकिर कालौनी थाना धौलाना जनपद हापुड़।

बरामदगी

1–चोरी के चांदी के आभूषण।

2–चोरी के 70 हजार 210 रूपये नगद।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद सोनभद्र/थाना रायपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 20.05.2025 को थाना रायपुर, थाना घोरावल, थाना पन्नूगंज व थाना रामपुर बरकोनिया की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तेनुआ जगंल के पास बदमाश की घेराबंदी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अनिल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के

कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सोनभद्र के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, सीएस एक्ट, आर्म्स, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना रायपुर पुलिस टीम द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनिल निवासी सरईगढ़ थाना रायपुर जनपद सोनभद्र।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना साहिबाबाद/क्राइम ब्रान्च

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 50 लाख रूपये (कीमत) के 02 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद**

दिनांक 20.05.2025 को थाना साहिबाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मेन श्याम पार्क रोड साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के पास से अभियुक्त शम्भू कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रूपये (कीमत) के 02 किलोग्राम अफीम बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शम्भू कुमार निवासी ग्राम झरपो थाना इचाक जनपद हजारीबाग, झारखण्ड।

बरामदगी

1—लगभग 50 लाख रूपये (कीमत) के 02 किलोग्राम अफीम।

- **जनपद बागपत/थाना बिनौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बागपत पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना बिनौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34, 398ए/34 भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मतीन को आजीवन कारावास व 01 लाख 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद कन्नौज/थाना छिबरामऊ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 22 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 13 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कन्नौज पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कन्नौज द्वारा थाना छिबरामऊ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/506 भादवि व 5(जी)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अंकित उर्फ सफी को 22 वर्ष कठोर कारावास व 13 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0:—मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़ के विभिन्न कोर्सो की फर्जी डिग्रियॉ व मार्कशीट बनाकर छात्रों से वसूली करने वाले गिरोह का एक और सदस्य गिरफ्तार।

दिनांक 19—05—2025 को एसटीएफ उ0प्र0 को मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़ के विभिन्न कोर्सो (बी0ए0, बी0एड0, बी0ए0—एलएलबी, फार्माशिस्ट, बी0टेक0 आदि) की फर्जी डिग्रियॉ व मार्कशीट बनाकर छात्रों से वसूली करने वाले गिरोह के 01 और सदस्य को हरियाणा से फर्जी प्रपत्र बनाने की मषीनरी एवं भारी मात्रा में कागजात के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–</u>

1– राजेष पुत्र मोहन निवासी मुकेष कालोनी, थाना बल्लभगढ़, जनपद फरीदाबाद। (हरियाणा)

<u>बरामदगीः–</u>

1– 957 अदद ब्लैंक मार्कषीट मोनाड विष्वविद्यालय, हापुड़।

2– 223 ब्लैंक सर्टीफिकेट मोनाड विष्वविद्यालय, हापुड़।

3– 575 अदद ब्लैंक प्रोविजनल सर्टीफिकेट मोनाड विष्वविद्यालय, हापुड़।

4– 02 अदद प्रिन्टर।

5– 06 अदद प्रिन्टर टोनर।

6– 01 बण्डल मोनोग्राम सील रिवन।

7– 01 अदद कम्प्यूटर।

8– 49 अदद तैयार फर्जी मार्कषीट मोनाड विष्वविद्यालय, हापुड़।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक, समयः–</u>

हाई स्ट्रीट 81 माल फरीदाबाद हरियाणा। दिनांक 19–05–2025 समय 11.30 बजे।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को पूर्व में षिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, कि मोनाड विष्वविद्यालय, हापुड के विभिन्न कोर्सो की फर्जी डिग्रियॅा व मार्कषीट बनाने का काम चल रहा है। इस सम्बन्ध में श्री संजीव कुमार दीक्षित, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में जॉच प्रारम्भ की गयी। जॉच के क्रम में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

इसी क्रम में दिनांक 18–05–2025 को एसटीएफ टीम द्वारा मोनाड विष्वविद्यालय की फर्जी डिग्री व मार्कषीट बनाकर छात्रों से वसूली करने वाले गिरोह के सरगना एवं चेयरमैन चौधरी विजेन्द्र सिंह उर्फ विजेन्द्र सिंह हुड्डा सहित 10 अभियुक्तों को भारी मात्रा में फर्जी मार्कषीट, डिग्रियॅा, माइग्रेषन आदि प्रपत्रों के साथ गिरफ्तार जेल भेजा गया था। गिरफ्तार अभियुक्त संदीप कुमार उर्फ संदीप सेहरावत ने पूछताछ पर बताया था कि

वह हरियाणा में मोनाड विष्वविद्यालय की बी0एड0, बी0ए0, बी0ए0 एल0एल0बी0, फार्माषिस्ट, बी0टेक0 आदि की फर्जी मार्कषीट व डिग्रियां विष्वविद्यालय के चेयरमैन विजेन्द्र सिंह हुड्डा के कहने पर छापता है। इस काम में उसका सहयोगी राजेष भी रहता है। ये लोग प्रत्येक कोर्स के हिसाब से डिग्री व मार्कषीट के अनुसार 50 हजार से 04 लाख रूपये तक प्रति छात्र लेते है।

पूछताछ से प्राप्त जानकारी के क्रम में अभियुक्त राजेष के गिरफ्तारी हेतु अभिसूचना संकलन किया जा रहा था। इस दौरान ज्ञात हुआ कि राजेष हरियाणा में छिपे होने की सूचना पर एसटीएफ द्वारा हाई स्ट्रीट माल फरीदाबाद हरियाणा से अभियुक्त राजेष को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

अभियुक्त राजेष ने पूछताछ पर बताया कि वह संदीप सेहरावत के साथ मिलकर मोनाड विष्वविद्यालय, हापुड़ की फर्जी मार्कषीट, डिग्रियॉ, माइग्रेषन आदि प्रपत्र छापने का काम करता है। दिनांक 17—05—2025 को भारी मात्रा में फर्जी मार्कषीट मोनाड विष्वविद्यालय में पहॅुचाया था। जब इसे जानकारी हुई कि इसका साथी संदीप सेहरावत हापुड़ से गिरफ्तार हो चुका है, तो यह भी इधर—उधर छिपकर रह रहा था। दिनांक 19—05—2025 को इसके प्रिन्टिंग आफिस में प्रिन्ट मोनार्ड विष्वविद्यालय, हापुड़ की निर्मित/अर्धनिर्मित फर्जी मार्कषीट, डिग्रियॉ, माइग्रेषन आदि प्रपत्र को यहॉ से हटाने के लिए आया हुआ था।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19—05—2025 को अभियुक्त राजेष के प्रिन्टिंग आफिस से बरामद उपरोक्त मार्कषीट, डिग्रियॉ, प्रोविजनल सर्टीफिकेट पर अभ्यर्थियो के नाम एवं अन्य विवरण का स्थान रिक्त है, जबकि प्रपत्र निर्गतकर्ता एवं अन्य पदो के स्थान पर पहले से ही हस्ताक्षर बना हुआ है।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना पिलखुआ, हापुड़ में मु0अ0सं0 290/2025 धारा 318(4), 336, 336(3), 340(1), 340(2) 111 बीएनएस में दाखिल किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एस0टी0एफ0:–अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शस्त्रो की तस्करी करने वाले गिरोह का 01 सदस्य 05 अदद सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल के साथ जनपद प्रयागराज से गिरफ्तार।

दिनांक 19–05–2025 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शस्त्रो की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सदस्य को 05 अदद सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1– आलोक सिंह पुत्र विजय सिंह, निवासी वीरापुर, कमलापुर, थाना सोरांव, जनपद प्रयागराज।

बरामदगीः

1– 05 अदद सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल .32 बोर

2– 01 अदद मोबाइल फोन

3– 01 अदद आधार कार्ड की छायाप्रति।

4– 200/– रु0 नगद

गिरफ्तारी का स्थान दिनांकः

मिंटो पार्क के सामने पुल के नीचे, थाना कीड़गंज, जनपद प्रयागराज। दिनांक 19.05.2025

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से उ0प्र0 में अवैध शस्त्रो की तस्करी करने वाले अपराधियों/तस्करों के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री प्रमेष कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई अयोध्या द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में उप निरीक्षक जावेद आलम सिद्दीकी के नेतृत्व में मु0आ0 अंजनी कुमार यादव, मु0आ0 नीरज सिंह, मु0आ0 रजनीष कुमार सिंह, मु0आ0 विमलेन्द्र मोहन मिश्रा एसटीएफ फील्ड इकाई अयोध्या की टीम जनपद प्रयागराज में

भ्रमणषील थी। इस दौरान विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली कि बुरहानपुर (म0प्र0) से अवैध पिस्टल लाकर उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों में सप्लाई करने वाले गिरोह का सदस्य मिंटो पार्क के पास मौजूद है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा मिंटो पार्क के सामने से अभियुक्त आलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उसका अन्तर्राज्यीय स्तर पर एक संगठित गिरोह है, जो अवैध शस्त्रो की तस्करी करता है। वह बुरहानपुर, मध्यप्रदेष जहॉ पर अवैध रूप से पिस्टलों का निर्माण किया जाता है, से प्रति पिस्टल रू0 25 हजार में खरीदकर उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों तथा अन्य प्रदेषों में 40 से 50 हजार रूपये प्रति पिस्टल के हिसाब से बेचता है। पूर्व में भी यह कई बार अवैध पिस्टल लाकर सप्लाई कर चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कीड़गंज, पुलिस कमिष्नरेट प्रयागराज में मु0अ0सं0 97/2025 धारा 3/5/25(8) आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

———————